

भिलाई निगम क्षेत्र में 20 मार्च को मांस विक्रय पर प्रतिबंधित

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई सीमा के अंतर्गत संचालित पशुवध गृह एवं समस्त मांस विक्रय की दुकानें दिनांक 20.03.2026 दिन शुक्रवार को चौट्रीचण्ड पर्व के अवसर पर बंद रखी जावेगी। समस्त मांस मटन विक्रेता शासन के इस आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

